मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,दक्षिण केंद्रीय रेल,

सिकंदराबाद और अन्य।

बनाम

जी. रत्नम और अन्य ।

22 अगस्त, 2007

[एच. के. सेमा और लोकेशवर सिंह पांटा, जे. जे.]

प्रशासनिक कानूनः प्रशासनिक निर्देश-भारतीय रेलवे सतर्कता नियमावली, 1996-पैराग्राफ 704 और 705 अधिकारीक ड्यूटी पर कर्मचारीयों-टिकट परीक्षकों के खिलाफ विभागीय जाल मामलों की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा इसका पालन न करना-इसका प्रभाव-आयोजितः नियोक्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जावेगी। पैराग्राफ 704 और 705 में निर्देश प्रक्रियात्मक हैं और अनुदेशात्मक नहीं हैं। जांच अधिकारियों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए ठोस निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कोई वैधानिक बल नहीं होने वाले प्रशासनिक नियम, विनियम और निर्देश कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। किसी भी निर्देश की अनदेखी करने पर भी अपराधी पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार-निर्देशों का पालन किए बिना शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के आधार पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी को दरकिनार करने और रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 को

फिर से बहाल करने का निर्देश देना उचित नहीं है। रेलवे सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968-सेवा कानूनः

पहली और तीसरी अपील में प्रतिवादी हेड ट्रेन टिकट परीक्षक के रूप में काम कर रहे थे और दूसरी अपील में प्रतिवादी ट्रेन टिकट परीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। रेलवे के सतर्कता अधिकारी ने अलग-अलग ट्रेनों में नकली यात्रियों को तैनात करके विभागीय जाल बिछाया, जब उत्तरदाता अधिकारिक ड्यूटी पर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने वाली ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। छापे की प्रक्रिया में, उत्तरदाताओं को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करते हुए पाया गया। उन्होंने फर्जी यात्री से ई. एफ. टी. राशि के बदले अधिक पैसे की मांग की। जाँच अधिकारी ने रेलवे प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपी। प्राधिकरण ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि उतरदाता पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे हैं और रेलवे कर्मचारी के लिए अनुचित तरीके से कार्य किया है और इस तरह उन्होंने रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम संख्या 26 के 3(1)(i), (ii) और (iii) का उल्लंघन किया है। जाँच अधिकारी ने विभागीय जाँच की और पाया कि प्रतिवादी अपराधी के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उत्तरदाताओं पर सेवा से हटाने का जुर्माना लगाया।

व्यथित होकर उतरदाताओ ने आदेश को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। ट्रिब्युनल ने आवेदनों को अनुमति दी और अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर आदेशों को रद्द कर दिया कि जाँच एजेन्सी ने भारतीय रेलवे सतर्कता मैन्युअल 1966 के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में उतरदाताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की थी। आरपीएफ कांस्टेबलों को नकली यात्रियों के रूप में तैनात किया गया था उसी बल के कांस्टेबलों ने नकली यात्रियों और उतरदाताओं के बीच लेनदेन को देखा और उसके परिणामस्वरूप जाँच दोषपूर्ण पाई गई जिसके परिणामस्वरूप उतरदाताओं को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में अपने मामलों का बचाव करने में पूर्वाग्रह हुआ। और यह है कि उक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने से अनुशासनात्मक कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई। इस प्रकार जुर्माना लगाने का आदेश अमान्य और अवैध था। ट्रिब्युनल ने प्रतिवादीयों की सेवा को बहाल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्युनल के आदेश को बरकरार रखा कि आरपीएफ कांस्टेबलों काे स्वतंत्र गवाह नहीं कहा जा सकता और विभागीय जाल में किसी भी स्वतंत्र गवाह के शामिल न होने पर जाँच रिपोर्ट पर्याप्त नहीं थी और जहाँ ऐसे विभागीय जाल मामलों से संबंधित निर्देश थे इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, ऐसे दोषपूर्ण जाल के आधार पर दी गई सजा कानूनन सही नहीं थी। न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. भारतीय रेलवे सतर्कता मैन्युअल 1996 के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित अनिवार्य निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन न करने से रलवे प्राधीकरण द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं रहेगी। इस तरह के निष्कर्ष व तर्क अनुचित है। और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 19] [271-जी, एचजे

2.1. सतर्कता नियमावली, 1996 के पैराग्राफ 704 और 705 में शामिल हैं - जांच अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और दिशानिर्देशों शामिल किया गया जिन्हें रेलवे अधिकारियों के खिलाफ ट्रैप मामलों और विभागीय ट्रैप मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। प्रशासनिक नियम, विनियम और निर्देश, जिनके पास कोई वैधानिक बल नहीं है, पीड़ित पक्ष के पक्ष में किसी भी कानूनी अधिकार को जन्म नहीं देते हैं और प्रशासन के खिलाफ अदालत में लागू नहीं किए जा सकते हैं। कार्यकारी उचित रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और उन अधीनस्थ अधिकारियों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं जिनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें जारी किया जाता हैं। ऐसा आदेश अपराधी को कोई कानूनी और प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करेगा, भले ही किसी भी निर्देश की अनदेखी की जाए, कोई भी अधिकार झूठ नहीं होगा। उनका उल्लंघन अधीनस्थ अधिकारियों को अनुशासनात्मक या अन्य उचित कार्रवाई के लिए उजागर कर सकता है, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन, कानून के बल वाले

वैधानिक नियमों की प्रकृति में नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 20] [272-बी-डी]

2.2. केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को प्रशासनिक निर्देश दे सकती है कि कुछ परिस्थितियों में कैसे कार्य किया लेकिन इससे ऐसे निर्देश वैधानिक नियम नहीं बनेंगे जो कुछ परिस्थितियों में न्यायसंगत हो। ऐसे कार्यकारी निर्देशों में नियमों की शक्ति होने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि वे या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी कानून द्वारा प्रदत अधिकार के तहत या संविधान के किसी प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत जारी किए गए है। इसलिए, भले ही ऐसे कार्यकारी निर्देशों का कोई उल्लंघन हुआ हो जो जनता के किसी भी सदस्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका द्वारा सरकार के खिलाफ रिट मांगने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। [पैरा 21] [272-ई-जी]

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम। एस. के. शर्मा, [1996] 3 एस. सी. सी. 364, संदर्भित।

2.3. विभागीय जांच और अभियोजन के उद्देश्य दो अलग और विशिष्ट पहलू है। किसी अपराध के लिए अपराधी पर समाज के प्रति कर्तव्य के उल्लंघन के लिए या कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अपराधी जनता को संतुष्ट करेगा।

अपराध कानून का उल्लंघन करके या सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करके किया गया कृत्य है। विभागीय जांच का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा की सेवा में अनुशासन और दक्षता बनाए रखना है। [पैरा 23] [273-बी]

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बनाम। सर्वेश बेरी [2005] 10 एससीसी 471,

3.1. मौजूदा मामलों में, जाँच अधिकारियों द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ दण्डात्मक अपराध करने की कोई कार्यवाही दर्ज करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था। रेलवे प्राधिकरण ने प्रासांगिक दिन पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उनके कदाचार के लिए उतरदाताओ के खिलाफ जाँच करने के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त किया, जब सतर्कता अधिकारियों ने विभागीय जाल बिछाया और उतरदाता एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने वाली उपरोक्त ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। जाँच अधिकारी ने उतरदाताओ की उपस्थिति में रेलवे सेवा अनुशासन और अपील नियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जांच की और अंततः सबूतों के आधार पर उन्हें कदाचार का दोषी पाया। एक अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्टों और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद सेवा नियमों के अनुसार उत्तरदाताओं पर दंड लगाया। प्रत्यर्थियों ने प्रासंगिक संबंधित सेवा नियमों के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारियों और अपील प्राधिकरण के समक्ष अपनी पुनरीक्षण याचिकाएं

और अपीले दायर की, जिन पर अधिकारियों द्वारा विधिवत विचार किया गया। [पैरा 23] [273-सी-ई]

3.2. सतर्कता नियमावली, 1996] के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित निर्देश प्रक्रियात्मक प्रकृति के है न कि मूल प्रकृति की। विभागीय ट्रेप मामलों के संचालन में जांच अधिकारी द्वारा इसका उल्लंघन, यदि कोई हो, तो जांच अधिकारियों द्वारा रेलवे अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। विभागीय कार्यवाही को वास्तव में प्रभावित नहीं करेगा। पैराग्राफ 704 और 705 के तहत विचार किए गए निर्देश आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्तों या विभागीय कार्यवाही में अपराधी की जानकारी में नहीं, बल्कि जांच अधिकारियों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए जारी किये गये है। ट्रिब्युनल के आदेशों को बरकरार रखने वाला आक्षेपित निर्णय कानूनी और उचित नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया। [पैरा 24 और 25] [273-एफ-एच; 274-ए]

4. सीए नंबर 5033/2003 में आई. ए. नंबर 2 में, हस्तक्षेपकर्ता-ऑल इंडिया कॉम। रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति और अन्य लोगों ने प्रस्तुत किया कि इसी विषय के संबंध में हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ विवाद निर्णय के लिये केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। मामलों के लंबित होने को देखते हुए,

हस्तक्षेप आवेदन को उसके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना खारिज कर दिया गया है। [पैरा 27] [274-सी,एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील की सं. 5033/2003। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय,बेंच हैदराबाद की रिट याचिका संख्या 25111/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 04.09.2002 मे स्थित

के साथ

CA 2003 की सं. 5029 और 5031

सी. एस. रंजन, अहसा जी. नायर, आर. सी. कथिया और अनिल कटियार,अपीलकर्ताओ के लिए ।

ए. सुब्बा राव, राज कुमार गुप्ता, शिव कुमार गुपा, भानु प्रताप,गुप्ता , अरुण यादव और ए.एन.बरिदयार प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया:-

लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. 1. मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे और अन्य द्वारा दायर की गयी यहां अपीलकर्ताओं को रिट याचिका संख्या 1489/2002, 26165 और 25111/2001 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच द्वारा पारीत सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक सितम्बर 2002 के खिलाफ निर्देशित किया जाता है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

[संक्षेप में "न्यायाधिकरण"], हैदराबाद की हैदराबाद पीठ के आदेशों के खिलाफ अपीलकर्ताओ द्वारा दायर रिट याचिकाओ को खारिज कर दिया। ट्रिब्युनल कार्यवाही में प्राधिकरण द्वारा उत्तरदाताओं पर लगाये गये दण्ड के आदेशों को रद्द कर दिया तथा उतरदाताओ को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया।

2. ये अपीलें प्रकृति में समान हैं और इनमें कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं इसलिए, उनका निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. तथ्य, जो मामले के विवाद में नहीं हैं नीचे निर्धारित किए गए हैं:-

सी.ए. की संख्या 5031/2002 :

4. एम. अंजनेयुलु, सी. ए. प्रतिवादी सं. 5031/2003 प्रसांगिक समय पर ट्रेन संख्या 8561 पर हेड ट्रेन टिकट परीक्षक (एच. टी. टी. ई.) के रूप में काम कर रहा था। 26.11.1998 को रेलवे के सतर्कता अधिकारी द्वारा ट्रेन एक नकली यात्री की व्यवस्था करके विभागीय जाल बिछाया गया था। नंबर 8561 विजयवाड़ा से काजीपेट स्टेशनों तक जा रहा है। छापेमारी की प्रक्रिया में, प्रतिवादी को ई. एफ. टी. राशि के बदले अधिक धन की मांग करते हुए पाया गया। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट रेलवे प्राधिकरण को

सौंपी गई, जिसने अपराधी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। आरोप-पत्र निम्नानुसार हैंः

(i) कि उक्त श्री एम. अंजनेयुलु ने रुपये की मांग की है और एकत्र किया हैं। 200 / - रुपये की ई. एफ. टी. राशि के विरुद्ध। दो लाईन एक्सप्रेस टिकट संख्या 20059 और 39060 पर एसएल क्लास आवास प्रदान करने के लिए रूपान्तरण और आरक्षण शुल्क के लिए 128 रूपये। इस प्रकार वह पूर्ण ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहा और एक रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय तरीके से काम किया और उल्लंघन किया। नियम संख्या 3 (1) (i)(ii) और 264 का उल्लंघन करना।

(iii) रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम संख्या 26 का।(ii) 26.11.1988 की ट्रेन संख्या 8561 एक्सप्रेस में काम करते हुए, उन्होंने अपनी रेलवे नकदी रुपये के रूप में अर्जित की। उनकी ई. एफ. टी. आय रूपये के मुकाबले रूपये 803। 767/- और इस प्रकार उन्होंने रु का उत्पादन किया। 36 / - एक बेनामी नकदी के रूप में अतिरिक्त। इस प्रकार उन्होंने रेलवे के नियम संख्या 26 के नियम 3 (1) (ii) और (iii) का उल्लंघन किया।

5. जाँच अधिकारी ने इनके खिलाफ विभागीय जाँच की प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त आरोपों पर प्रतिवादी को दोषी माना और अभिनिर्धारित किया कि दोनों आरोप अपराधी के खिलाफ साबित हुए। उन्हें सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करते हुए पाया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने, जांच रिपोर्ट से सहमत होकर, प्रत्यर्थी पर एच. टी. टी. ई. से टिकट परीक्षक (टी. ई.) में दो ग्रेड का प्रत्यावर्तन का जुर्माना लगाया। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 25.02.2000 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रतिवादी की सेवा से हटाने के लिए दंड को बढ़ा दिया। व्यथित होकर मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के दक्षिण-मध्य रेलवे के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी पर लगाए गए दंड के आदेश की पुष्टि की। व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने नीचे ट्रिब्युनल के समक्ष ओ. ए. सं. 1339/2000 दायर किया।

सी.ए. 2007 की सं. 5029:

6. यहाँ प्रतिवादी एम. सुब्रमण्यम डेवर्स वर्ष 1999 में ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक (टी. टी. ई.) के रूप में कार्यरत थे। 07.06.1999 को जब प्रतिवादी ट्रेन संख्या 1752 सिकन्दराबाद से बाड़ी जा रही समर स्पेशल एक्सप्रेस में ड्यूटी पर था, तो सतर्कता अधिकारी ने एक फर्जी यात्री को

तैनात करके एस द्वारा विभागीय जाल बिछाया। छापे की प्रक्रिया में प्रत्यर्थी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करते हुए पाया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी के खिलाफ दिनांक 24.8.1999 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था, जो निम्नानुसार हैः

(i) कि उक्त श्री एम. सुब्रमण्यम डेवर्स ने रूपयों की मांग और रु. एकत्र किए। रुपये की ई. एफ. टी. राशि के विरुद्ध। 100 रूपये। 89 / - और फिर से रु. एकत्र किए। रुपये की ई. एफ. टी. राशि के विरुद्ध। 100 /- दो एक्सप्रेस टिकट संख्या 34623 और 34622 पर एस.एल. श्रेणी आवास प्रदान करने के लिये रूपान्तरण और आरक्षण शुल्क के लिये 89 रूपये इस प्रकार वह पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहा और। एक रेलवे कर्मचारी के लिये अशोभनीय तरीके से कार्य किया और नियम का उल्लंघन किया। रेलवे सेवा [आचरण] नियम 1966 के नियम संख्या 26 का (ii) और (iii), (ii) दिनांक 7.6.1999 को ट्रेन संख्या 752, समर स्पेशल में काम करते समय एस. सी. से डब्ल्यू. डी. ने उसकी रेलवे नकदी रुपये के रूप में पेश की है। 200 / रुपये के ई. एफ. टी. खाते के विरुद्ध। 178/ - और 7.6.1999 के ई. एफ. टी. सं. 492236 के माध्यम से रेलवे को प्रेषित किया, आई.आर.सी.एम. वॉल्युम के पैरा 2429 के अनुसार उतरदायी है। इस प्रकार, श्री सुब्रमण्यम डेवर्स, टी. टी. ई./एस. सी. कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे और एक रेलवे कर्मचारी के लिये अशोभनीय तरीके से काम किया और इस प्रकार,

रेलवे सेवाओं (आचरण) के नियम संख्या 3 (1) (ii) और (iii) का उल्लंघन किया गया है।

7. रेलवे सेवाओं (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के तहत की गई विभागीय जांच में जांच अधिकारी ने प्रतिवादी के खिलाफ उपरोक्त आरोप साबित पाए। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जाँच रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी और प्रत्यर्थी को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने की सजा दी थी। अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 24.02.2000 के आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील पर विचार करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड के आदेश की पुष्टि की। प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी, जिसने 14.08.2000 को उक्त पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. सं. 1349/2000 दायर किया।

सी. ए. 2003 की सं. 5033:

8. वर्ष 1998 में, जी. रत्नम प्रतिवादी एचटीटीई के रूप मेंकार्यरत थे। दिनांक 13/14.01.1998 को सतर्कता अधिकारी द्वारा बिछाए गए फर्जी विभागीय जाल में, प्रतिवादी को अपने अधिकारीक कर्तव्य के निर्वहन में कमी पाई गई। प्रतिवादी को दिनांक 27.6.1998 का एक चार्जमेमो जारी किया गया था जिसमें निम्नलिखित दो आरोप शामिल थे।

(i) उक्त श्री जी. रत्नम, एच. टी. टी. ई./एस. एल./बी. जेड. ए. 13/14.01.1998 को BZA-GTL से 7225 एक्सप्रेस द्वारा काम करते समय पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे है और इसमें निम्नलिखित अनियमितता की है। उन्होंने स्लीपर श्रेणी आरक्षित आवास प्रदान करने के लिए श्री एन. नीलाम्बरम से 20 रूपये अधिक वसूले है। बीजेडए से बीए वाई. तक जैसा कि आरोपों के विवरण में बताया गया है और इस प्रकार अनधिकृत शुल्क एकत्र किया गया है, इसलिए आई. आर. सी. एम. वाॅल्युम II के पैरा 2430 (ए) के तहत उत्तरदायी हैं।

(ii) इस प्रकार श्री जी. रत्नम, एच. टी. टी. ई./एस. एल./बी. जेड. ए. ने नियम 3 (1) (i) और (ii) का उल्लंघन किया है। रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के अनुसार कार्य करते समय BZA-GTL से 7225 एक्सप्रेस 13/14.01.1998 को पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने, कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाने में विफल रहा है और गंभीर अनियमितता की है इसमें उन्होंने रुपये रेलवे नकदी में 20 रूपये अतिरिक्त जो 13.01.1998 के ई. एफ. टी. संख्या 305379 के माध्यम से रेलवे को प्रेषित किया गया था और इस प्रकार आई. आर. सी. एम. खंड II के पैरा 2429 (ई) के तहत उत्तरदायी है। इस प्रकार जी. रत्नम, एच. टी. टी. ई./एस. एल./बी. जेड. ए. ने रेलवे के नियम 3 (1) (i) और (ii) का उल्लंघन किया है।

9. रेलवे प्राधिकरण ने रेलवे सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसारप्रतिवादी के खिलाफ विभागीय जांच की और उक्त जांच के दौरान, प्रतिवादी के खिलाफ उपरोक्त आरोप साबित हुए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 26.05.1999 के आदेश के तहत जांच रिपोर्ट को देखने के बाद प्रतिवादी पर दिनांक 10.06.1999 के वरिष्ठता के नुकसान के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए टी. टी. ई. के निचले दर्जे के पद पर कटोती का जुर्माना लगाया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीवादी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। हालांकि, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा मंडल-अपीलकर्ता संख्या 3 ने रेलवे सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 25 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए संशोधन किया और प्रतिवादी को यह बताने का निर्देश दिया कि क्यों न सेवा से हटाने के लिए जुर्माना बढ़ाया जाए। प्रत्यर्थी ने अपना अभ्यावेदन 29.11.2001 को प्रस्तुत किया। 05.01.2000 को अपीलार्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया, संशोधित किया और 20.01.2000 से सेवा से प्रतीवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को प्रतिस्थापित किया। व्यथित होकर प्रतिवादी ने ओ. ए. को प्राथमिकता दी जिसका 14.2.2000 को निपटारा किया गया जिसमें प्रतिवादी को मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक-अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार प्रतिवादी ने एक अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी पर

पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जुर्माने की पुष्टि की। व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने एक और ओ. ए. दायर किया। 1773/2000 न्यायाधिकरण के समक्ष।

10. नीचे दिए गए ट्रिब्युनल ने एक सामान्य आदेश द्वारा उतरदाताओ के आवेदनों को तकनीकी आधार पर यह कहते हुए अनुमति दी की रेलवे सतर्कता मैन्युअल 1966 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे के सतर्कता अधिकारीयों द्वारा अपमानजनक विभागीय जाल नहीं बिछाये गये थे और दोषपूर्ण जांच के परिणामस्वरूप, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उत्तरदाताओं पर जुर्माना लगाने के आदेश और पुनरीक्षण प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के परिणामी आदेशों को रद्द कर दिया।

11. अपीलकर्ताओं ने व्यथित होकर न्यायाधिकरण के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायाधिकरण के आदेश से सहमत हुयी और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जांच एजेंसी ने भारतीय रेलवे सतर्कता नियमावली, 1996 के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये प्रत्यर्थियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की। उक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने से अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो गयी है।

कार्यवाही और उसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थियों पर जुर्माना लगाने वाले अधिकारियों के आदेश को अमान्य और अवैध माना जाता है।

12. अब, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे डिवीजनल रेलवे मैनेजर, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा डिवीजन, वरिष्ठ डिवीजनल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा डिवीजन और वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा वे अपीलकर्ता हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के विवादित फैसले और आदेश के खिलाफ ये अपील दायर की हैं।

13. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और अभिलेख पर मौजूद सम्पूर्ण जांच की। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. राजन ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने रेलवे सतर्कता नियमावली के पैराग्राफ 704 और 705 को अनिवार्य प्रकृति का मानकर गलती की है। विद्वान वकील के अनुसार, सतर्कता नियमावली के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित निर्देश विभागीय निर्देशों की प्रकृति के हैं, जिसमें कोई वैधानिक बल नहीं है और ये रेलवे से जुड़े विभागीय जाल मामलों में जांच करने के लिए सतर्कता अधिकारियों के लिये मार्गदर्शन देने की प्रकृति के हैं। रेलवे कर्मचारियों से जुड़े मामलों और किसी भी निर्देश का गैर अनुपालन, सेवा नियमों के संदर्भ में उनके कदाचार के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ शुरू की गई सम्पूर्ण विभागीय

कार्यवाही को दुषित करने के समान नहीं होगा। इसलिये ट्रिब्युनल के आदेश को बरकरार रखते हुये उच्च न्यायालय का निर्णय उचित है।

14. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. सुब्बा राव ने जोरदार तर्क दिया कि न्यायाधिकरण के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय को किसी भी आधार पर त्रुटिपूर्ण या विकृत नहीं पाया जा सकता है चूंकि सतर्कता नियमावली, 1996 के पैराग्राफ 704 और 705 में दिए गए अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में जांच अधिकारी द्वारा की गई दोषपूर्ण जांच के आधार पर प्रत्यर्थियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप उतरदाताओ को अपना बचाव करने के लिए प्रत्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सतर्कता नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया वैधानिक बल द्वारा समर्थित है और ट्रैप मामलों या विभागीय ट्रैप मामलों की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करना दोषपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही को खराब करने के समान होगा। अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार के लिये उतरदाताओ के खिलाफ जांच अधिकारी रिपोर्ट रेलवे प्राधिकरण को सौंपी गयी। इसलिए यह न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने में देरी करेगा।

15. पक्षों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों की सराहना करने के लिए हम इस स्तर पर भारतीय रेलवे सतर्कता नियमावली, 1996 के

पैराग्राफ 704 और 705 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार हैंः

" 704. जाल।

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v) जाल बिछाते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा:-

(क) दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहों को बातचीत सुननी चाहिए, जिससे यह स्थापित होना चाहिए कि धन को बचाव को पूरा करने के लिए अवैध परितोषन के रूप में पारीत किया जा रहा था कि धन वास्तव में ऋण या कुछ और के रूप में प्राप्त किया गया था यदि अभियुक्त द्वारा रखा गया हो।

(ख) लेन-देन दो स्वतंत्र गवाह की दृष्टि और सुनवाई के भीतर होना चाहिए।

(ग) अवैध संतुष्टि पारित होने के तुरंत बाद अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने का अवसर होना चाहिए ताकि आरोपी इसे निपटाने में सक्षम न हो सके।

(घ) चयनित गवाह जिम्मेदार गवाह होने चाहिए जो विभाग या पुलिस के पहले के मामलों में गवाह के रूप में पेश नहीं हुए हो। अभियुक्त की स्थिति को देखते हुये प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। ऐसे गवाहों को लेना अधिक सुरक्षित है जो सरकारी कर्मचारी है और अन्य विभागों के है।

(ई) उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के बाद जांच अधिकारी डिकोय को एस. पी./एस. पी. ई. के पास ले जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए जानकारी उन्हें देनी चाहिए। यदि एस. पी., एस. पी. ई. का कार्यालय नजदीक नहीं है और जाल बिछाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि जाल केवल स्थानीय अधिकारी द्वारा बिछाया जा सकता है जो डिप्टी रैंक से नीचे न हो। एस. पी. ई. के बाद या स्थानीय पुलिस अधिकारी को काम सौंपा गया है। जाल बिछाने और उसके कार्यान्वयन की सभी व्यवस्था उनके द्वारा निष्पादित करनी चाहिए। उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(vi)

(vii)।

पैरा 705 विभागीय जाल, विभागीय ट्रैप के लिए पैरा 704 के तहत दिये गये निर्देशों के अलावा निम्नलिखित बातों का पालन किया जाना चाहिएः

(क) जाँच अधिकारी/निरीक्षक को जहां तक सम्भव हो स्वतंत्र गवाह के रूप में कार्य करने के लिये रेलवे से दो राजपत्रित अधिकारीयों की व्यवस्था करनी चाहिये, हालांकि कुछ असाधारण मामलों में जहां दो राजपत्रित अधिकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों का उपयोग किया जा सकता है। सभी रेलवे कर्मचारियों, विशेष रूप से राजपत्रित अधिकारियों को तो उन्हें सहायता करनी चाहिए और जब भी कोई अधिकारी या सतर्कता शाखा के उनसे संपर्क किया करती है तो और जाल का गवाह बनना चाहिए सतर्कता शाखा के प्रमुख जाल पर उपस्थित रहने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का विवरण देते है। जाल के स्थल पर उपस्थित व्यक्ति सहायता करने से इनकार करता है या उचित कारण के बिना/पर्याप्त कारण के बिना किसी जाल में फसने में सहायता करने या उसे देखने से इन्कार करने को कर्तव्य का उल्लंघन माना, जिससे वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

(ख) डिकोय उस पैसे को पेश करेगा जिसे वह दोषी अधिकारीयों/कर्मचारीयों को मांगने पर रिश्वत के पैसे के रूप में देगा। जांच अधिकारी/निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहों और डिकोय की उपिस्थति में जी.सी. की संख्या दर्शाते हुये एक ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिये।

कानूनी और अवैध लेनदेन के लिये नोटस इस प्रकार तैयार किये गये मेमो पर डिकोय, स्वतंत्र गवाहों और जांच अधिकारी/निरीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिये। जी. डी. नोटों को नकली नोटों में वापस करने के लिए एक और ज्ञापन जी. सी. बनाने के लिये तैयार किया जायेगा। मांग पर दोषी कर्मचारी को नोट करता है। इसमें डाकिोय गवाहों और जाँच अधिकारी/निरीक्षक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। स्वतंत्र गवाह ऐसी जगह पद ग्रहण करेंगे जहां से वे लेन-देन देख सके और धोखेबाज़ और अपराधी के बीच की बातचीत भी सुन सके ताकि वे स्वयं को संतुष्ट कर सके कि रिश्वत के रूप में धन की मांग की गई, दी गयी और स्वीकार की गयी। एक तथ्य जिसे वे बाद में विभागीय कार्यवाही में जमा करेंगे। पैसा हस्तानान्तरित होने के बाद जाँच अधिकारी/निरीक्षक को गवाहों की उपस्थिति में पहचान का खुलासा करना चाहिये और निजी, रेलवे और रिश्वत की राशि सहित सभी पैसे पेश करने की मांग करनी चाहिये। फिर उत्पादीत कुल धन को सम्बन्धित रिकॉर्ड से सत्यापित किया जायेगा और धन की जब्ती के लिये ज्ञापन और सत्यापन विवरण तैयार किया जायेगा। बरामद नोटों को गवाहों, धोखेबाज और अभियुक्त के साथ-साथ उसके तत्काल वरिष्ठ की उपस्थिति में सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिससे अभियुक्त द्वारा रिकवरी मैमो पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसे गवाह के रूप में बुलाया जाना चाहिये और लिफाफे में नोटों को सीलबन्द करना चाहिये।

16. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय, जैसा कि ऊपर बताया गया है दोनों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नियमावली के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित निर्देश प्रकृति में अनिवार्य हैं और जाल बिछाने की प्रक्रिया में जांच एजेंसी द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है। प्रतिवादियों के खिलाफ जांच अधिकारियों द्वारा तैयार की गई दोषपूर्ण और निराधार जांच रिपोर्टों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू की गई थी विभागीय कार्यवाही में अपने कारण का बचाव करने में प्रतिवादीयों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

17. हम इस स्तर पर यह बता सकते हैं कि सतर्कता नियमावली जो पहली बार 1970 में प्रकाशित किया गया था जिसे 1996 में संशोधित किया गया था जिसके तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ विभागीय जाल बिछाये गये थे। वर्ष 2006 में भारतीय रेलवे द्वारा 1996 की संशोधित सतर्कता नियमावली को फिर से संशोधित किया गया है। भारतीय रेलवे सतर्कता नियमावली, 2006 के अध्याय III में अनुच्छेद 376 सी. बी. आई. द्वारा ट्रैप मामलों से संबंधित है। विभागीय ट्रैप मामले, प्रक्रिया और दिशानिर्देश अनुच्छेद 307 (1996 मैनुअल के पैराग्राफ 705 के अनुरूप) में निर्धारित किए गए हैं। हालाँकि, वर्तमान मामलों को शामिल किया गया है और 1996 के मुख्य आयोग के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों द्वारा निपटाया जाता है।

18. अब हम तथ्यों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच करेंगे। अभिलेख पर, नियमावली के पैराग्राफ 704 और 705 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने से प्रत्यर्थियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को अमान्य कर देगा और अधिकारीयों द्वारा प्रत्यर्थियों पर लगाए गए दंड के परिणामी आदेशों को प्रस्तुत करेगा। जैसा की उच्च न्यायालय ने विवादीत आदेश में यह कहा था। यह विवाद नहीं है कि जांच अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच तब संचालित किए गए थे जब उत्तरदाता एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने वाली ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आधिकारिक कर्तव्य पर थे। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में पाया कि जांच अधिकारियों द्वारा तैनात फर्जी यात्री आर. पी. एफ. कांस्टेबल थे जिनकी उपस्थिति में उत्तरदाताओं ने यात्रियों को स्लीपर श्रेणी आरक्षण आवास आदि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त राशि एकत्र की। बताया गया कि नकली यात्रियों और उत्तरदाताओं के बीच लेन-देन को आर. पी. एफ. कांस्टेबलों द्वारा देखा गया था। मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि जांच अधिकारियों द्वारा सतर्कता नियमावली, 1996 के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जांच की गई थी, जिसके आधार पर जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः रेलवे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थियों पर जुर्माना लगाया। उच्च न्यायालय अपने विवादित निर्णय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विभागीय जाल में किसी भी स्वतंत्र गवाह को

शामिल करने के अभाव में जांच रिपोर्ट अपर्याप्त पाई जाती है और जहां ऐसे विभागीय जाल मामलों से संबंधित निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है, ऐसे दोषपूर्ण जाल के आधार पर लगाई गई सजा कानून के तहत टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामलों में सतर्कता शाखा से जुड़े कुछ आर. पी. एफ. कांस्टेबलों और रेलवे कर्मचारियों की सेवा का उपयोग फर्जी यात्रियों के रूप में किया गया था और वे जाल में गवाह के रूप में भी जुड़े हुए थे। आर. पी. एफ. कांस्टेबलों को किसी भी मायने में स्वतंत्र गवाह नहीं कहा जा सकता और जांच अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र गवाहों का गैर सबुत होना कहा जा सकता है। विभागीय जाल मामलों की जांच में पूछताछ अधिकारियों के समक्ष अपने बचाव में उत्तरदाताओं के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

19. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि सतर्कता नियमावली के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित अनिवार्य निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन न करने से रेलवे प्राधिकरण द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही प्रभावित हुई हैं। हमारे विचार में इस तरह के निष्कर्ष और तर्क पूरी तरह से अनुचित है और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।

20. हमने सतर्कता नियमावली के विभिन्न अध्यायों की विषय-वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। अध्याय II, III, VIII, IX और अध्याय

XIII रेलवे सतर्कता संगठन और इसकी भूमिका, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, रेलवे सतर्कता द्वारा शिकायतों की जांच, रेलवे बोर्ड में सतर्कता मामलों का प्रसंस्करण निलंबन और रेलवे सेवकों (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के प्रासंगिक पहलुओं से संबंधित हैं। पैराग्राफ 704 और 705, जैसा कि पहले देखा गया था, जांच अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को शामिल करते हैं, जिन्हें रेलवे अधिकारियों के खिलाफ ट्रैप मामलों और विभागीय ट्रैप मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। मोटे तौर पर कहे तो, प्रशासनिक नियम, विनियम और निर्देश, जिनका कोई वैधानिक बल नहीं है, पीड़ित पक्ष के पक्ष में किसी भी कानूनी अधिकार को जन्म नहीं देते हैं और प्रशासन के खिलाफ कानून की अदालत में लागू नहीं किए जा सकते हैं। उचित रूप से तथाकथित कार्यकारी आदेश किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और अधीनस्थ अधिकारियों पर कोई कानूनी दायित्व नहीं डालते हैं। जिनके मार्गदर्शन के लिए वे जारी किए गए है। ऐसा आदेश अपराधी को कोई कानूनी और लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करेगा, भले ही किसी भी निर्देश की अनदेखी की गई हो, कोई अधिकार नहीं होगा। उनके उल्लंघन से अधीनस्थ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक या अन्य उचित कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे इसमें शामिल है के अधिकार क्षेत्र के अधीन, कानून की शक्ति बल वाले वैधानिक नियमों की प्रकृति में नहीं कहा जा सकता है।

21. यह विदित है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने सेवकों को कुछ परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाए; लेकिन इससे ऐसे निर्देश सांविधिक नियम नहीं बनेंगे जो कुछ परिस्थितियों में न्यायोचित हैं। ऐसे कार्यकारी निर्देशों में सांविधिक नियमों का बल होने के लिये यह दिखाया जाना चाहिए कि वे या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी क़ानून द्वारा या संविधान के किसी प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं। इसलिए, भले ही ऐसे कार्यकारी निर्देशों का कोई उल्लंघन हुआ हो जो जनता के किसी भी सदस्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका द्वारा सरकार के खिलाफ रिट मांगने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

22. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम। एस. के. शर्मा [1996] 3 एससीसी 364, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के मामले में, जो एक अनिवार्य चरित्र का नहीं है, उल्लंघन की शिकायत की पर्याप्त अनुपालन के दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए। ऐसे प्रावधान के उल्लंघन में पारित आदेश को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जहां इस तरह के उल्लंघन से दोषी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। न्यायालय या न्यायाधिकरण को जाँच करनी चाहिए कि क्या

(ए) प्रावधान का उल्लंघन किया गया है वह मूल प्रकृति का है या

(ख) क्या यह प्रक्रियात्मक है?

23. यह अब अच्छी तरह से तय हो चुका है कि विभागीय जांच और अभियोजन के उद्देश्य दो अलग और विशिष्ट पहलू हैं। अपराधी द्वारा समाज के प्रति कर्तव्य के उल्लंघन के लिए या उस कानून के उल्लंघन के लिये अपराधिक मुकदमा चलाया जाता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अपराधी जनता को संतुष्ट करेगा। अपराध कानून का उल्लंघन या सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करके किया गया कृत्य है। विभागीय जांच का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा की सेवा में अनुशासन और दक्षता बनाए रखना है। [हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम बनाम सर्वेश बेरी, [2005] 10 एससीसी 471]। वर्तमान मामलों में, दंडात्मक अपराधों के लिए कोई कार्यवाही दर्ज करने का प्रस्ताव नहीं था। रेलवे प्राधिकरण ने संबंधित दिन पर अपने अधिकारीक कर्तव्य के निर्वहन में उनके कदाचार के लिये उतरदाताओ के खिलाफ जांच करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त किया जब सतर्कता अधिकारीयों ने जाल बिछाया जब उत्तरदाता एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने वाली उपरोक्त ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। जाँच अधिकारी ने रेलवे सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जाँच की। उत्तरदाताओं से पूछताछ की और अंत में उन्हें जांच अधिकारियों के सामने पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर कदाचार का दोषी पाया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री पर विचार करने पर, सेवा नियमों के संदर्भ में उत्तरदाताओं पर दंड लगाया। प्रत्यर्थियों ने संबंधित सेवा नियमों के तहत

पुनरीक्षण प्राधिकरणों और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपनी पुनरीक्षण याचिकाएं और अपील दायर की, जिन पर अधिकारियों द्वारा विधिवत विचार किया गया।

24. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने पर और कानूनी नियमों के अनुसार मामले के पहलू में, हमारा विचार है कि सतर्कता नियमावली, 1996 के पैराग्राफ 704 और 705 में निहित निर्देश प्रक्रियात्मक हैं और मूल प्रकृति के नहीं हैं। विभागीय जाल मामलों के संचालन में जांच अधिकारी द्वारा इसका उल्लंघन यदि कोई हो तो जांच अधिकारियों द्वारा रेलवे अधिकारियों को प्रस्तुत शिकायतों के आधार पर उत्तरदाताओं के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को वास्तव में प्रभावित नहीं करेगा। पैराग्राफ 704 और 705 के तहत विचार किए गए निर्देश आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्तों या विभागीय कार्यवाही में अपराधी की जानकारी के लिए नहीं बल्कि जाँच अधिकारियों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए जारी किये गये है।

25. उपरोक्त कारणों से विवादित निर्णय और आदेश एक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेशों को बरकरार रखना कानूनी और उचित नहीं है। इसे तदनुसार अलग रखा गया है।

26. ये अपीलें स्वीकार की जाती है। नतीजतन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका सं 1489/02 , 26165/2001 और 25111/01 को अनुमति होगी। दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

27. आई. ए. नं. 2 सी. ए. सं. 5033/2003 में दाखिल किया गया। हमने ऑल इंडिया कॉम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राज कुमार गुप्ता को सुना है। रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति और अन्य हस्तक्षेप कर्ता श्री गुप्ता ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करने की मांग की है। अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाहियों में प्रासंगिक घटनाओं और कानूनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। हस्तक्षेपकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2003 में उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका (सी) संख्या 518/2003 दायर की थी, जिसमें मुख्य रूप से परमादेश या किसी अन्य रिट या रिट जारी करने का दावा किया गया था, आदेश या आदेश भारत सरकार और रेलवे अधिकारीयों की अखिल भारतीय सतर्कता नियमावली 1976 के पैराग्राफ 704 और 705 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.09.2002 के निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश या निर्देश याचिका संख्या 1489/2002 भारत संघ एवं अन्य बनाम वी. एम. अंजनेयुलु और अन्य) [वर्तमान सी. ए. सं. 5031/2003] उक्त रिट याचिका 28.11.2003 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिस तारीख को निम्नलिखित आदेश पारित किए गएः

"जैसा कि प्रार्थना की गई है, याचिका को वापस लेने की अनुमति एसएलपी (सी) सं. सीसी No.5912/2003 "में

हस्तक्षेप के लिए सलाह के अनुसार किसी भी उचित आवेदन को स्थानान्तरित करने की स्वतंत्रता के साथ दी गयी है।"

हस्तक्षेप आवेदन की सुनवाई के दौरान जिसे इस न्यायालय ने 24.02.2004 को अनुमति दी थी। श्री राज कुमार गुप्ता ने हमारे ध्यान में लाया है कि उसी विषय के संबंध में हस्तक्षेप कर्ताओ द्वारा उठाए गए कुछ विवाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों के लंबित होने को देखते हुए, हम न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मामले में हस्तक्षेप करने वालों द्वारा किए गए दावों के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहते हैं, जिस पर निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार हस्तक्षेप आवेदन को उसके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना खारिज कर दिया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कविता सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादीत किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारीक और आधिकारीक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।